

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1439


भोपाल, दिनांक 10/11/09

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ता इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का आईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
	श्रीमती बबिता शर्मा (इतिहास)	AM 3638	सा.स.उ.भा.वि.बेटमा जिला इन्दौर	232600/7307	शा.स.उ.भा.वि.बेटमा जिला इन्दौर	232600/7307

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार



लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 10/11/09

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1440
प्रतिरिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला इन्दौर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इन्दौर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला इन्दौर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर। म.प्र. की ओर अग्रप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1443

भोपाल,दिनांक 10.11.09


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में व्याख्याता (व्याव.शिक्षा)के पद सहित तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रहे है अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी को पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मुदेश जै। (व्याव. शिक्षा रिपेयर आफ रेडियो टी.वी. ट्रेड)	AF 4614	शा.स.उ.मा.वि.शाहपुर जिला बुरहानपुर	23480277704	शा.स.उ.मा.वि कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल	23320877722

“प्रशासकी अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 10.11.09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./74/09/1444

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला बुरहानपुर /भोपाल ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचातयत जिला बुरहानपुर/भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला बुरहानपुर/ भोपाल ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बुरहानपुर/भोपाल म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./88/09/1449

भोपाल,दिनांक 10/11/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रामावतार पाण्डेय (भू.मी.टी)	AW 2824	शास.उ.मा.वि.कुआ जिला सतना	23130577702	शास. उ.मा.वि. कठहा जिला सतना	23130177702

'प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार'




आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 10/11/09

पृष्ठा.कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./88/09/1450
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सतना।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सतना।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला सतना।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सतना। म.प्र. की ओर अग्रोषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे।
8. संबंधित प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.